

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बोर्ड/निर्यात-21/एपीडा-पार्ट/2022-23/ 243

भोपाल, दिनांक 23/05/2022

प्रति,

1. संयुक्त/उप संचालक  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
आंचलिक कार्यालय (समस्त)
2. सचिव  
कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)

विषय - प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- 1. प्रबंध संचालक महो. म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल का पत्र क्रमांक./बी-6/निय./ (मार्के/निर्यात)-21/एपीडा-पार्ट/899 दिनांक 11/03/2022 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 924 भोपाल, दिनांक 15/03/2022

—00—

विषयान्तर्गत संधार्षित पत्रों का अवलोकन करे, जिसके माध्यम से "किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र. शासन के आदेश क्रमांक/बी-15-13/2019/14-2 दिनांक 26/08/2021" के अनुक्रम में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित क्लस्टर सुविधा समिति (CFC) के गठन एवं बैठक आयोजित करने हेतु, जिला कार्यालय से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया था। उक्त विषय सन्दर्भ में प्रगति वर्तमान तक अपेक्षित है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्टर तथा उपसंचालक उधानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत करावे।

23/5/22  
(डी.के. नामेन्द्र)

अपर संचालक (निर्यात)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

क्र./बोर्ड/निर्यात-21/एपीडा-पार्ट/2022-23/244  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 23/05/2022

1. कलेक्टर, जिला (समस्त), मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. उपसंचालक, उधानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, सह सदस्य सचिव क्लस्टर सुविधा समिति (CFC) जिला (समस्त), मध्य प्रदेश की ओर प्रेषित कर लेख है कि विषय सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अवगत करावे ।

23/5/22

अपर संचालक (निर्यात)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल